

डिमांकु देवी - वजराजाल मु.नं. 173/2006

दिनांक	आशा पत्र
--------	----------


3-9-19

18-10-19



पत्रावली पेश। वकील अपील अपीलान्त / अपील उक्त स्थिति
आगामी तिथि से पूर्व तामील से पत्रावली पेश कर
अन्यथा अपील पर आदेश 9 नियम 5 की शर्तों के अंतर्गत खारिज
कर दी जायेगी। अपील के रजिस्टर्ड नोटिस
पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपील के प्रति गम्भीर
नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 की शर्तों के तहत खारिज
की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौजदारी नम्बर
को कम होकर बाद तत्काल दाखिल दफ्तर हो।




कूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पटल प्रमुख अपील अधिकारी
देवरी